RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 45 / 2024

अपीलांट–

1. श्री जोईताराम पुत्र बादराराम जाति भील, निवासी भैरूगढ़, पउ, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. श्री तहसीलदार सिवाना।
2. श्री हल्का पटवारी पउ, तहसील सिवाना।
3. श्रीमती काली पत्नी तगाराम
4. श्री मपाराराम पुत्र पिथाराम
5. श्री मेहराराम पुत्र तगाराम
6. श्री मोहनलाल पुत्र तगाराम
7. श्री वागाराम पुत्र पिथाराम
8. श्री सकाराम पुत्र तगाराम
9. श्री सुजाराम पुत्र चेलाराम
10. श्री सांवलाराम पुत्र पिथाराम
11. श्री घेवाराम पुत्र वजाराम
12. श्री ताराराम पुत्र वजाराम
13. श्री नरपतराम पुत्र पिथाराम
14. श्री पकाराम पुत्र वजाराम
15. श्रीमती पाबु पत्नी वजाराम
16. श्री भंवराराम पुत्र तगाराम
17. श्री मंछाराम पुत्र वजाराम

जातियान भील, निवासीयान भैरूगढ़, पंउ, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध विभाजन आदेश कमांक / भू.अ. / 2023 / 3211 दिनांक 28.07.2023 को तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र सिंह सोढा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री वीराराम प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 17 की ओर से अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं 2 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 10.09.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिवाना के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश कमांक / भू.अ. / 2023 / 3211 दिनांक 28.07.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 23.10.2024 को पेश की गई है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सरहद मौजा भेरूगढ़, पउ पटवार हल्का पउ, तहसील सिवाना के खेत खसरा नंबर 126 रकबा 10.1657 बीघा भूमि अवस्थित है। उक्त खसरा के खातेदारान अपीलांटगण एवं रेस्पाडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.07.2023 को तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम राहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि राहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर तहसीलदार सिवाना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश कमांक/भू.अ./2023/3211 दिनांक 28.07.2023 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अपीलांट के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंटगण संख्या 3 ता 17 के संयुक्त खातेदारी के खेत मूल खसरा नंबर 126 रकबा 10.1657 बीघा भूमि सरहद मौजा भेरूगढ़, पउ, पटवार हल्का पउ, तहसील सिवाना में अवस्थित है। खातेदारी भूमि के बंटवाडा बाबत कार्यालय तहसीलदार सिवाना द्वारा दिनांक 28.07.2023 को एक विभाजन प्रस्ताव अन्तर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तैयार कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शे में तरमीम की गई। उक्त बंटवाडा व तरमीम में तहसीलदार सिवाना एवं पटवारी हल्का पंउ द्वारा अपीलांट को मिथ्या जानकारी देते हुए, विभाजन प्रस्ताव पेश किया। तहसीलदार सिवाना द्वारा अपीलांट को अपने हिस्से से अधिक भूमि दी गई तथा ज्यादा भूमि का हिस्से का समर्पण करवा दिया गया। विभाजन पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार बरंग काला संयुक्त खातेदारी दर्शायी गई, जिसे खसरा संख्या 96 की सीमा से लगाकर खसरा संख्या 630/614 की सीमा से लगते रास्ते तक रास्ता दर्शाया गया, मगर उक्त तहसीलदार व पटवारी ने अपीलांट को मुगालते में रखकर एक रास्ता नुमा पट्टी खसरा संख्या 96 की माठ के सहारे सहारे खसरा संख्या 623/126, 624/126 को विभाजित करते हुए, उक्त पट्टी खसरा संख्या 668/127 तक दर्शाकर बरंग पीला जोईताराम पिसरान बादराराम के खातेदारी भूमि दर्ज की है। अपीलांट साक्षर व अनपढ होने से इस संबंध में ज्यादा जानकारी नही रखते है, और इसलिए तहसीलदार सिवाना व पटवारी हल्का पंउ द्वारा अपीलांट को विश्वास में लेते हुए, मिथ्या जानकारी देते हुए, अमूख कागजात व दस्खत व अंगुष्ठ निशान करवाया गया। उक्त विभाजन पत्र पर अपीलांट में से जोईताराम पुत्र बादराराम के नाम की एक रास्ता नुमा पट्टी बरंग पीली दर्ज की, तथा उक्त दर्ज पट्टी को पटवारी हल्का पंउ द्वारा उक्त जोईताराम को विश्वास में लेकर, बंटवाडा पत्र के कागजात की आड मे तहसीलदार सिवाना के पक्ष में समर्पण करवा दिया। तहसीलदार सिवाना व हल्का पटवारी पंउ द्वारा यह कहा गया कि, मूल खसरा संख्या 126 में से बाद विभाजन नया खसरा संख्या 684/624,

जिला कलक्टर
बालोतरा

679/623, 683/624 में से खसरा संख्या 684/624 को हमने राजस्थान सरकार के पक्ष में बकिस्म धोरा समर्पण करवा दिया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार सिवाना के द्वारा विभाजन प्रस्ताव आदेश क्रमांक भू.अ./2023/3211 दिनांक 28.07.2023 को निरस्त करने का आदेश फरमावे तथा समस्त पक्षकारान के हिस्सा बराबर कर पुनः बंटवाड़ा हेतु रिमाण्ड करने का आदेश फरमावे।

5. रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 17 के अधिवक्ता दौराने बहस बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता को अपना बहस कथन प्रकट करने हेतु सम्यक अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कोई लिखित बहस अथवा दौरान सुनवाई अभिकथन नहीं करने पर प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

2. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि सरहद मौजा भेरूगढ़, पउ पटवार हल्का पउ, तहसील सिवाना के खेत खसरा नंबर 126 रकबा 10.1657 बीघा भूमि अवस्थित है। उक्त खसरा के खातेदारान अपीलांटगण एवं रेस्पाडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.07.2023 को तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर तहसीलदार सिवाना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश कमांक/भू.अ./2023/3211 दिनांक 28.07.2023 पारित किया गया। अपीलांट की मुख्य आपति यह है कि कुल खसरे में से अपीलांट के हिस्से में अधिक भूमि दी गई है तथा अपीलांट के हिस्से में ज्यादा दी गई भूमि का तहसीलदार सिवाना द्वारा ज्यादा भूमि का रास्ता हेतु समर्पण कर दी। अपीलांट उक्त आलोल्य आदेश को अपास्त कर पुनः नये सिरे से सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से तलब की गई मूल पत्रावली का अवलोकन किया, जिसमें तहसीलदार सिवाना के समक्ष अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से स्वंय हस्ताक्षर कर विभाजन के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के तहत आपसी सहमती बंटवाड़ा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त खातेदारों के हस्ताक्षर के ताइद व पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो की जांच के उपरांत उक्त आलोच्य बंटवारा आदेश पारित होना पाया गया। पक्षकारान द्वारा पेश विभाजन प्रार्थना पत्र पर एंव अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली में समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर होना पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त विभाजन अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण के सहमती से किया गया है। साथ ही पत्रावली के संलग्न भूमि समर्पण एवं उसके संबंधित कोई भी दस्तावेजात अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर/अंगुष्ठ

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

निशान अंकित कराये गये हैं। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना के समक्ष धारा 53(2) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार द्वारा इस इकरारनामा को पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी स्वतंत्र सहमति से अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं एवं आलोच्य विभाजन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया, जबकि एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। इस प्रकार अपीलांट की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ साथ मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।

3. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित विभाजन को बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।। पत्रावली फैसल शुमार हाकर नंबर से कम हो।

4. निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा